

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3— Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 370] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 25, 1983/भाद्र 3, 1905
No. 370] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 25, 1983/BHADRA 3, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

आदेश सं. 28/83

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1983

का. आ. 617(अ).—आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे उल्लिखित शुल्क सामान्य लाइसेंस आदेश में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

- (1) शुल्क सामान्य लाइसेंस सं. 1/83, दिनांक 15 अप्रैल, 1983 की अनुसूची के भाग 2 में प्रविष्टि सं. 20, अर्थात् “एथिलीन डिक्लोराइड” हटा दी जाएगी।

- (2) खूले सामान्य लाइसेंस सं. 21/83, दिनांक 15 अप्रैल, 1983 की शर्त सं. (8) इस प्रकार संशोधित की जाएगी जिससे कि 1983-84 की आयात-निर्यात नीति (गिल्ड-1) के परिशिष्ट 4, 8 और 9 में प्रदर्शित मदों का आयात छोड़ दिया जाए।

[मिनिस्टर सं. आईपीसी/3/1/83]

पी. सी. जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

ORDER NO. 28/83

New Delhi, the 25th August, 1983

S.O. 617(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following amendments to OGL Order referred to hereunder :—

- (1) In part II of the Schedule to Open General Licence No. 1/83, dated the 15th April, 1983. Entry No. 20, viz. "Ethylene Dibromide" shall be deleted.
- (2) Condition No. (8) of Open General Licence No. 21/83, dated the 15th April, 1983, shall be amended so as to exclude importation of items appearing in Appendices 4, 8 and 9 of Import & Export Policy (Vol. I) for 1983-84.

[File No. IPC/3/1/83]

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports.